भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †1471
उत्तर देने की तारीख **01.07.2019**

तंडस समुदाय का आधुनिकीकरण

†1471 श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मुख्यतः कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में लंबाणी समुदाय वाले विशिष्टतः 'तंडस' बसावट क्षेत्र में सुधार/फेस-लिफ्ट कार्यक्रम चलाना सरकार की विभिन्न अग्रणीय/परियोजनाओं के अंतर्गत एक उद्देश्य है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार बड़े स्तर पर इन तंडस के पूर्ण आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) से (ग): कर्नाटक सरकार ने बेहद पिछड़े 'थंडा' के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2018-19 के अपने बजट में प्रगति कॉलोनी/ 'थंडा' के रूप में ज्ञात एक प्रमुख कार्यक्रम की घोषणा की है। इस संबंध में 'कर्नाटक थंडा विकास निगम ' ने प्रथम चरण में 46 सबसे पिछड़े 'थंडा' को चुना है , जिसमें सीसी सड़क, नालियां, सामुदायिक हॉल, स्वच्छ पेयजल संयंत्र , हाईमास्ट लैंप, संपर्क सड़कें आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई की गई है। सरकार ने भी आगामी वर्षों में शेष पिछड़े 'थंडा' के विकास के लिए स्कीम बनाई है। कर्नाटक सरकार ने बड़े पैमाने पर 3395 थंडाओं के संपूर्ण विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2009 के दौरान एक विशेष उद्देश्य संगठन की स्थापना की , जिसे थंडा विकास निगम (केटीडीसीएल) कहा जाता है। केटीडीसीएल के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं।
(i) विशेष रूप से 'थंडा' तथा सामान्य रूप से 'थंडा' निवासियों के समग्र विकास के लिए भौतिक , सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना और 'थंडा' के लिए बुनियादी सुविधाओं एवं संचार सुविधाओं , सामुदायिक केंद्रों आदि का विकास करना एवं विकास के लिए सुविधा प्रदान करना।
(ii) मॉडल मोरारजी / देसाई / नवोदय / कित्तूर रानी चेनम्मा / एकलव्य/ आश्रम शाला (पहली से दसवी कक्षा) की तर्ज पर मोबाइल स्कूल , अंशकालिक छात्रावास और आवासीय विद्यालय की स्थापना करके 'थंडा' आवासों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना।
(iii) ऐसे आर्थिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना जो 'थंडा' निवासियों को स्वरोजगार और समूह रोजगार / आय सृजन गतिविधियों में संलग्न करने और नए कौशल प्राप्त करने और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐतिहासिक बंजारा वेशभूषा के अनूठे कसौटी कौशल (सिलाई और कढ़ाई) युवा लंबाणी पीढ़ी और फैशन की दुनिया को आकर्षित करने , समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को नवीनीकृत करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए कौशल को उन्नत/ संवर्धित और विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का अवसर प्रदान करता है ।

(iv) बंजारा किसानों जो वन भूमि / सरकारी भूमि / गोमल भूमि में लंबे समय से आजीविका के लिए खेती कर रहे हैं, की कृषि भूमि के लिए कानूनी अधिकार पत्र प्रदान करने को सहज बनाना तथा वन भूमि, सरकारी भूमि / गोमल तथा निजी भूमि में निर्माण स्थान तथा वहां बने मकानों के संबंध में कानूनी अधिकार पत्र प्रदान करने के रूप में 'थंडा' को कानूनी स्थिति प्रदान करने को भी सहज बनाना और युगों से ऐसी भूमियों में 'थंडा' निवासियों के कब्जे में निर्माण स्थलों और मकानों को नियमित करना भी है | और शेष 'थंडा' (छोटे गांव) को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने में संबंधित विभागों को सहज बनाना और उनके साथ समन्वय करना | इस संबंध में कर्नाटक सरकार ने केटीडीसीएल को अनुदान जारी किया है तथा गत पांच वर्षों में किये गये कार्य / कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**निर्मुक्त अनुदान**	**किये गये कार्यों / कार्यक्रमों की संख्या**		
		सामुदायिक हॉल / स्कूल भवन	**सीसी सड़कें / सीसी नालियां**	**जागरूकता, प्रशिक्षण / कार्यक्रम / अन्य**
2014-15	75.00 करोड़ रू.	230	257	150
2015-16	87.00 करोड़ रू.	214	250	165
2016-17	90.00 करोड़ रू.	184	349	200
2017-18	85.00 करोड़ रू.	140	482	220
2018-19	96.60 करोड़ रू.	108	597	270

2. जनजातीय कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार ने सूचित किया है कि तेलंगाना राज्य में लंबाडीज द्वारा लगभग 5848 'थंडा' आबाद हैं| इनमें से 1271 तंडस में 500 तथा अधिक की जनसंख्या है जिन्हें अलग ग्राम पंचायतों के रूप में घोषित किया गया है ताकि 'थंडा' का सर्वांगीण विकास किया जा सके | अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे सुरक्षित पेयजल (मिशन भगीरथ के तहत) तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, अवसंरचना तथा 250 और अधिक जनसंख्या वाले सभी 'थंडा' के लिए संपर्क सड़क की अवसंरचना प्रदान करना, कृषि (प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपए की दर से कृषि निवेश सहायता स्कीम, रिथुबंधु तथा रिथुबीमा - 5 लाख रुपए का बीमा), सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध पेंशन भोगियों तथा विधवा पेंशन भोगियों के लिए 2016 रुपए तथा शारीरिक दिव्यांग पेंशन भोगियों के लिए 3016 रुपए की दर से आसरा पेंशन), कल्याण लक्ष्मी स्कीम – विवाह के समय वधु के परिवार के लिए 1,00,116 रुपए तथा गरीबी घटाने पर विचार किया गया है जो ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। अतः ग्राम पंचायतों के रूप में घोषित तंडस को आकर्षक बनाया जाएगा। इसके अलावा, तेलंगाना राज्य में सभी 'थंडा' के सर्वागींण विकास के लिए उचित प्राथमिकता दी जा रही है।

3. जनजातीय विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वसंतराव नाइक 'थंडा' / वस्ती सुधार योजना के तहत विमुक्त जाति तथा घुमंतू जनजातियों (वीजेएनटी में लम्बणी जाति शामिल है) 'थंडा' के विकास के लिए वर्ष 2003 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वंसतराव नाइक 'थंडा' / वस्ती सुधार योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं जैसे विद्युतीकरण , पेयजल, आंतरिक सड़कें, नालियां, शौचालय, सामुदायिक हॉल / पुस्तकालय तथा मुख्य सड़क से सम्पर्क सड़क प्रदान करने के लिए जनसंख्या के मानदण्ड के संबंध में निधियां स्वीकृत की जाती हैं। इस स्कीम में बड़े पैमाने पर 'थंडा' / वस्तियों के पूर्ण आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

4. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले में कोई विशेष सूचना प्रेषित नहीं की है।

****